प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 465 / 2022

अनवान : –

1. सत्यवीर कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सोहनलाल पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. चन्दो देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. अजय कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. कृष्ण पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. सुनिता देवी पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. सावित्री पत्नी हरिशचन्द्र जाति जाट जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. कान्ता देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांक: **10.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 970 / 688 की कुल 6.7530 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 730 / 732 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा भूकरका के खाता स0 965 / 173 की कुल 4.4575 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वाद भूमि संयुक्त रूप से पारिवारिक सदस्यों के नाम है तथा वाद भूमि जमाबंदी में अलग अलग रूप से जमाबंदी मे दर्ज है परन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि बुजुर्गो के बंटवारे के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बंटवारे अनुसार ही काश्त करते आ रहे है। बंटवारे एवं काश्त के अनुसार ही वादी वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक बंटवारे एवं काश्तक के अनुसार वादग्रस्त भूमि निम्न अनुसार अलहदा–अलहदा करवा पाने के अधिकारी है जो निम्न प्रकार से है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

1. रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 970/688 की कुल 6.7530 हैक्ट भूमि में से 6.753 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादी स0 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 व 6, 7 का नाम कलमजन किया जावें।

2. रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 730/732 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में से 6.354 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया स0 7 खातेदार काश्तकार रहेगी तथा वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जावे।

3. रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 965/173 की कुल 4.4575 हैक्ट भूमि की प्रतिवादीया स0 2 खातेदार काश्तकार रहेगी तथा प्रतिवादीया स0 6 का नाम कलमजन किया जावें।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीग के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि के संबंध मे वादी एवं प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

हमने उभयपक्षों को सुना, [illegible] किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 [illegible] की कुल 6.7530 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 730/732 की कुल 16.9460 [illegible] मौजा भूकरका के खाता स0 965/173 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:57 IST
Reason: SelfAttested

कुल 4.4575 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है, वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 द्वारा इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 970/688 की कुल 6.7530 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 व 6, 7 का नाम कलमजन किया जाकर 6.7530 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 730/732 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर 16.9460 भूमि में से 6.354 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया स0 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 965/173 की कुल 4.4575 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीया स0 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष — 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष—2023
कैम्प कोर्ट— भुकरका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 465 / 2023

अनवान : –

1. सत्यवीर कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सोहनलाल पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. चन्दो देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. अजय कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. कृष्ण पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. सुनिता देवी पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. सावित्री पत्नी हरिशचन्द्र जाति जाट जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. कान्ता देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 465 सन 2023 निर्णय दिनांक 10.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 970 / 688 की कुल 6.7530 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 व 6, 7 का नाम कलमजन किया जाकर 6.7530 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 730 / 732 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर 16.9460 भूमि में से 6.354 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया स0 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 965 / 173 की कुल 4.4575 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीया स0 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:57 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका